( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 42 / 2021**

**रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021 / 358**

**बउनवान**

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

**बनाम**

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जैन जाति जैन निवासी मैन मार्केट वार्ड नं. 10, देवरी तह0 शाहबाद, जिला बाराँ(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स महावीर किराना स्टोर, मैन मार्केट देवरी, तह. शाहबाद, जिला बाराँ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री अरूण सक्सेना खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

## निर्णय दिनांक 11.01.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को मैसर्स महावीर किराना स्टोर, मैन मार्केट देवरी, तह. शाहबाद जिला बाराँ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रविन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जैन (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल(खुला)** लोहे की कैन 2 लीटर मात्रा में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल(खुला)** में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को [illegible] कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल(खुला)** 1600 मिली. वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री रविन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जैन (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 160/– रूपये (अक्षरे एक सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:52:49 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल(खुला)** 1600 मिली. को तपेली में तुलवाकर एक समरूप कर चार नमूना भाग में कर शीशीयों में बराबर–बराबर डालकर, ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1084 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1084 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रविन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/364 दिनांक 24.12.2020 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 367/PHL/kota/Act/2020/474 दिनांक 12.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल(खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 2.3.15(b) के तहत **Prohibition & restriction on Sales** पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स महावीर किराना स्टोर, मैन मार्केट देवरी, तह. शाहबाद जिला बाराँ से पत्रांक 207 दिनांक 12.07.2021 से सूचना चाही। मैसर्स महावीर किराना स्टोर, मैन मार्केट देवरी, तह. शाहबाद जिला बाराँ द्वारा प्रतिउत्तर में जीएसटी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 27.10.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:52:49 IST
Reason: SelfAttested

**राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा **सरसों का तेल(खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 2.3.15(b) के तहत **Prohibition & restriction on Sales** पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ विक्रय करना उपधारा 2 (v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थी** के द्वारा दौराने बहस कहा गया कि मेरे द्वारा विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की गयी है। अप्रार्थी की एक छोटी सी दुकान है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्व संस्थित परिवाद खारिज फरमाया जावें।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल(खुला)** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 367/PHL/kota/Act/2020/474 दि. 12.11.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 2.3.15(b) के तहत **Prohibition & restriction on Sales** पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ विक्रय करना उपधारा 2 (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 58 के तहत अप्रार्थी को राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माना राशि के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:52:49 IST
Reason: SelfAttested